

गृह (ग्रुप-6) विभाग  
राजस्थान सरकार, जयपुर  
दिनांक 26/10/18  
दिनांक 15/11/18

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक: प.16(11)गृह-9/2018

जयपुर, दिनांक:-

अधिसूचना

16 OCT 2018

यतः राज्य सरकार यह समझती है कि जिला अलवर में कम्पनी गेल इंडिया लि० को सीटी गेट स्टेशन कायम रखने हेतु ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा के खसरा नम्बर 113 रकबा 0.41 है० में से 1600 वर्ग मीटर भूमि पर जिसके क्षेत्र का विवरण नीचे वर्णित है, से संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या इसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा।

इसलिए अब राज्य सरकार एतद्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (घ) सपटित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 21/20/62 पोल (I) दिनांक 04.05.1963 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अलवर में कम्पनी गेल इंडिया लि० को सीटी गेट स्टेशन कायम रखने हेतु ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा के खसरा नम्बर 113 रकबा 0.41 है० में से 1600 वर्ग मीटर भूमि पर सुरक्षा की दृष्टि प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु उक्त अधिनियम के तहत सुरक्षा की दृष्टि से निम्नांकित सीमाओं वाले क्षेत्र को प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करती है।

क्षेत्र का विवरण

क्र.स.	नाम तहसील	ग्राम	भूमि ख.नं.	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1.	अलवर (तिजारा)	सलारपुर	खसरा नम्बर 113	0.41 है० में से 1600 वर्ग मीटर भूमि	आराजी नम्बर 112	खसरा नम्बर 236	खसरा नम्बर 237	आराजी खसरा नम्बर 114

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुबेसिंह यादव)

विशिष्ट शासन सचिव  
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अलवर।
4. निदेशक, लेखन सामग्री एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर दिनांक..... के असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ मय सी.डी.।
5. सीनियम मैनेजर (सुरक्षा) एनसीआर, गेल इंडिया लिमिटेड जुबली टावर, बी-35-36 सेक्टर-1 नोएडा 201301 इंडिया को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. उप शासन सचिव गृह ग्रुप-6 विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

16 OCT 2018

विशिष्ट शासन सचिव  
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग